न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर

पीठासीन अधिकारी : शकुन्तला, आर.ए.एस.

प्रकरण सं. 55 / 2025

जी.सी.एम.एस. नं.: 2025 / 101

1. सुधीर कुमार पुत्र ओम प्रकाश जाति विश्नोई निवासी 4 एस.ए.डी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.
2. संतोष कुमारी पत्नी सुधीर कुमार जाति विश्नोई निवासी 4 एस.ए.डी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.

—प्रार्थीगण

बनाम

1. कृष्णा देवी पत्नी पतराम जाति विश्नोई निवासी 4 एस.ए.डी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.
2. पुनीत पुत्र पतराम जाति विश्नोई निवासी 4 एस.ए.डी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :—

1. श्री शेराराम ओड, अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री साहिब बाघला, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1—2
3. राजपैरोकार

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 11.06.2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि :—

1. प्रार्थीगण द्वारा मूल वाद के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि यह कि प्रार्थी सं0 2 के नाम वाके चक 3 एस.ए.डी. तहसील श्री विजयनगर का मुरब्बा नम्बर 01 प०नं0 160 / 348 के किला नम्बर 10 / 2,11 / 2, 12, 19, 20 / 3 की कुल 1.012 है. नहरी खातेदारी भूमि है तथा प्रार्थी सं० 1 के नाम से भी चक 3 एस.ए.डी. का ही मु०नं० 01 प०नं0 160 / 348 के किला नम्बर 6,13,14,15 की कुल 1.012 है० नहरी खातेदारी भूमि है। उपरोक्त भूमि के प्रार्थीगण खातेदार टिनेन्ट होने के कारण उपरोक्त भूमि के उपयोग उपभोग के पूर्ण रूप से हकदार है तथा प्रार्थी सं02 चूंकि प्रार्थी सं० 1 की ही पत्नि है इसलिए उपरोक्त भूमि को प्रार्थी ही काश्त करता आ रहा हूँ वा वर्तमान में मौका पर भी मैं प्रार्थी सं01 का ही कब्जा है। उपरोक्त भूमि के प्रार्थीगण मालिक है तथा उपरोक्त भूमि वावत समस्त प्रकार के हक एवं हकूक प्रार्थीगण को एकल वा स्वतंत्र रूप से प्राप्त है तथा उपरोक्त भूमि को उपयोग उपभोग करनें के पूर्ण रूप से अधिकारी है तथा प्रार्थीगण के अलावा अन्य कोई उक्त भूमि का मालिक काविज नहीं है तथा ना ही प्रार्थीगण ने अपनी उक्त भूमि को कभी भी किसी अन्य को किसी प्रकार से हस्तान्तरण किया है। अप्रार्थीगण सं० 1 व 2 बहुत ही चालाक एवं होशियार किस्म के व्यक्ति है भू-माफिया गिरोह के सदस्य है जिनका काम भोले—भाले लोगो की जायदाद को हड़पना है इसी अनुक्रम में अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण की भूमि हड़पने की फिराक में है तथा उनके द्वारा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में बिना कोई विधिक हक एवं अधिकार के प्रार्थी सं० 1 के किला नम्बर 6 व 15 की भूमि में खाला निर्माण करना चाहा जिसका पता प्रार्थीगण को चलने पर प्रार्थीगण ने दिनांक 6—5—2025 को अपने परिवार सदस्यो को लेकर वा मौजिज व्यक्तियो को साथ लेकर प्रार्थीगण के खातेदारी रकबा में किसी प्रकार की मदाखलत बेजा नही करने वा किसी प्रकार का निर्माण नहीं करने वा ऐसा कोई कृत्य नही करने जिससे प्रार्थीगण अपने उक्त रकबा से बेदखल वा वंचित होते हो का कहा तो अप्रार्थी सं० 1 व 2 एलानिया कहने लगा कि वह प्रार्थीगण की भूमि पर प्रार्थीगण की इच्छा के विरुद्ध जाते

उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:40:05 IST
Reason: SelfAttested

हुऐ वा बिना सहमति वा स्वीकृति से बल पूर्वक खाला निर्माण कर प्रार्थीगण को हमारे खातेदारी उक्त रकबा से बेदखल वा वंचित करेगे वा प्रार्थीगण की किसी भी बात को सुनने वा मानने से इन्कार हो गये तथा उनके द्वारा मौका पर कई बदमाश प्रवृति के वा आपराधिक किस्म के लोगो को इकट्ठा कर प्रार्थीगण को भयभीत कर कर प्रार्थीगण को हमारे खातेदारी रकबा से बिना कोई विधिक अधिकार के बेदखल करने का प्रयास किया लेकिन मौका पर साथ आये परिवार सदस्यो एवं मौजिज व्यक्तियो द्वारा अप्रार्थी सं01 व 2 के उक्त अवैधानिक कृत्य को विफल कर दिया। अप्रार्थी सं. 1 व 2 को प्रार्थीगण के खातेदारी रकबा बाबत किसी प्रकार के कोई विधिक हक एवं अधिकार प्राप्त नहीं है तथा ना ही प्रार्थीगण ने अप्रार्थी सं01 व 2 को अपना उक्त रकबा कभी भी किसी प्रकार से हस्तान्तरण रहन वा बैय आदि ही किया है तथा अप्रार्थी सं01 व 2 बल पूर्वक वा आपराधिक किस्म के व्यक्तियो को साथ लेकर प्रार्थीगण को उक्त रकबा से विधि विरूद्ध तरीके से बेदखल करने के प्रयास कर रहे है जबकि खातेदारी रकबा मु०नं० 1 के किला नम्बर 6 व 15 में कभी न तो खाला रहा है तथा ना ही खाला स्वीकृतशुदा है। अगर अप्रार्थीगण अपने उक्त विधि विरूद्ध कृत्य में कामयाब हो जाते है तो प्रार्थीगण के विधिक अधिकारों का हनन होगा वा ना पूरा होने वाला नुकशान होगा तथा अपूर्णीय क्षति होगी तथा अनावश्यक मुकदमा बाजी बढेगी हर्जा खर्चा होगा वा प्रार्थीगण के रकबा में खड़ी फसल नष्ट होगी तथा हम प्रार्थीगण को हुऐ नुकशान का मूल्यांकन मुद्राओं में आंका जाना सम्भव नही हो सकेगा। प्रार्थीगण विवादित रकबा के खातेदार टिनेन्ट मालिक हूँ तथा उक्त रकबा प्रार्थी सं01 के कब्जा काश्त में चला आ रहा है तथा उक्त रकबा का उपयोग उपभोग करने के प्रार्थीगण पूर्ण रूप से अधिकारी है लेकिन अप्रार्थीगण सं० 1 व 2 उक्त रकबा से बिना कोई विधिक हक एवं अधिकार के वा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये बल पूर्वक एवं आपराधिक किस्म के व्यक्तियो को साथ लेकर प्रार्थीगण के खातेदारी रकबा के उपयोग उपभोग में बांधा उत्पन्न करते हुऐ वा उसमें मदाखलत बेजा कर प्रार्थीगण को नुकशान पहुंचाने पर आमादा है इसलिए प्रार्थीगण, अप्रार्थी सं01 व 2 के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के विधिक अधिकारी हूँ कि अप्रार्थी सं01 व 2 स्वयं या उनका हितबद्ध व्यक्ति या पश्चातवर्ती व्यक्ति प्रार्थीगण के खातेदारी रकबा वाके चक 3 एस.ए.डी. तहसील श्री विजयनगर का खाता 158 / 14 में दर्ज अनुसार मुरब्बा नम्बर 1 प०नं0 160 / 348 के किला नम्बर 10 / 2 में 0.151 है०, कि0नं0 11 / 2 में 0.202 है0, किला न0 12 में 0. 253 है० व किला नम्बर 19 में 0.253 है०. कि0नं0 20 / 3 में 0.153 है0 कुल 1.012 है० कमाण्ड, व खाता 159 / 14 में दर्ज अनुसार मु०नं० 1 प०नं० 160 / 348 के किला नम्बर 6,13,14,15 प्रत्येक सालम सालम कुल 1.012 है० कमाण्ड खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की मदाखलत बेजा करने वा प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने वा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये उपरोक्त रकबा से विधि विरूद्ध तरीके से खाला निकालने व बेदखल करने से बाज वा ममनु रहे। उपरोक्त तथ्यो के विश्लेषण से प्रथम दृष्टया वाद वा सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है। ताफैसला वाद पत्र अप्रार्थी सं01 व 2 के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा इस अमर की सादिर फरमाने कि अप्रार्थी सं01 व 2 स्वयं या उनका हितबद्ध व्यक्ति [illegible] व्यक्ति हम प्रार्थीगण के खातेदारी रकबा वाके चक 3 एस.ए.[illegible] तह[illegible] श्री विजयनगर का खाता 158 / 14 में दर्ज अनुसार [illegible] 160 / 348 के किला नम्बर 10 / 2 में 0.151 है०, [illegible] है0, किला न. 12 में 0.253 है० व किला नम्बर 19 में 0.253 है०, कि0नं0 [illegible] / 3 में 0.153 है0 कुल 1.012 है० कमाण्ड, व खाता 159 / 14 में दर्ज अनुसार मु०नं० 1 प०नं0 160 / 348 के किला नम्बर 6,13,14,15 प्रत्येक सालम सालम कुल 1.012 है0 कमाण्ड खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की मदाखलत बेजा करने वा प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बांधा उत्पन्न करने वा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये उपरोक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:40:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर
उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट

रकबा से विधि विरूद्ध तरीके से खाला निकालने व बेदखल करने से बाज वा ममनु रहे पारित करने हेतु निवेदन किया।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1–2 जरिए अधिवक्ता उपस्थित हुए। अप्रार्थीगण जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण पर मिथ्या आरोप लगाऐ गरे है। बल्कि प्रार्थीगण माननीय अदालत मे क्लीनहैण्ड से नही आऐ है। प्रार्थीगण जो कि स्वंय तेज, तरार्र व होशियार किस्म है, ने सही व वास्तविक तथ्यो को माननीय अदालत से छुपा कर माननीय अदालत के समक्ष मिथ्या, काल्पनिक व बेबुनियाद तथ्यो के आधार पर यह प्रार्थना पत्र पेश कर स्थगन प्राप्त किया गया है जिसके वह कतई अधिकारी नही है। प्रार्थीगण की कृषि भूमि के मुरब्बा नं–1 पत्थर सं–160/348 के किला नं–6 वा 15 मे पूर्व मे गत 20–25 वर्षो से चल रही कच्ची आड़ जो कि उक्त मुरब्बा के किला नं–5, 6, 15, 16, 25 मे चल रहा था जिससे अप्रार्थीगण सं–1 वा 2 को अपने रकबे के लिए सिंचाई सुविधा प्राप्त होती थी, जिसे प्रार्थीगण ने जानबुझ कर अप्रार्थीगण सं–1 वा 2 को मिल रही सिंचाई सुविधा से वंचित करने के आश्य से गत 20–25 वर्षो से चल रही कच्ची आड़ को तोड़ दिया है। जिस पर अप्रार्थीगण की सिंचाई सुविधा बाधित होने पर अप्रार्थीगण ने अधिशाषी अभियंता सूरतगढ ब्रांच जल संसाधन खण्ड द्वितीय के समक्ष दिनांक 25–4–2025 को प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जिस पर अधिशाषी अभियंता द्वारा सहायक अभियंता को प्रेषित कर पटवारी हल्का से रिपोर्ट करवाई। जिस पर पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट मे दर्ज किया कि मुरब्बा नं 1 पत्थर सं–160/348 के किला नं–25 में स्वीकृत नक्का है। अप्रार्थीगण के रकबा के किला नं 1 ता 5, 7 ता 9, 10/2 की सिंचाई सुविधा इसी मुरब्बा के किला नं 5 ता 25 व 5 ता 2 तक चल रही घरेलु आड़ को प्रार्थीगण ने किला नं–6 वा 15 मे तोड़ दिया गया है। पटवारी की समझाईश के बावजुद भी सिंचाई सुविधा बहाल नही हुई तथा अप्रार्थीगण की सिंचाई सुविधा बाधित हो गई है। जिस पर अधिशाषी अभियंता सूरतगढ ब्रांच जल संसाधन खण्ड द्वितीय द्वारा दिनांक 14–5–2025 को सहायक अभियंता को पत्र क्रमांक 505 जारी कर अप्रार्थीगण के रकबा चक–3 एसडी का मुरब्बा नं 1 पत्थर सं–160/348 को सिंचाई सुविधा हेतु नियमानुसार आड़ निकलवा कर सिंचाई सुविधा बहाल हेतु जारी किया गया तथा जरूरत पड़ने पर पुलिस सहायता भी प्राप्त करने बाबत लिखा गया है। प्रकरण मे दिनांक 6–5–2025 को जिलेदार की रिपोर्ट में यह तथ्य दर्ज है कि मुरब्बा नं–1 पत्थर सं–160/348 के किला नं–25 मे स्वीकृत नक्का है जिसें किला नं–5 ता 25 व 5 ता 2 मे घरेलु कच्ची आड़ चल रही थी जिसे प्रार्थीगण द्वारा किला नं–6, 16 मे तोड़ दिया है। जिलेदार की समझाईश करने के बावजुद सिंचाई सुविधा बहाल करने हेतु प्रार्थीगण मना कर रहे है जिससे अप्रार्थीगण के रकबा की सिंचाई सुविध बाधित हुई है। इस प्रकार प्रार्थीगण जो तेज तरार्र व होशियार किस्म के है, जिन्होने उपरोक्त समस्त दस्तावेजी सबुतो को छूपा कर अनवानी प्रार्थना पत्र मिथ्या, काल्पनिक तथ्यो पर यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार से [illegible] किया जा रहा है। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार से प्रार्थी[illegible]क अधिकारो का हनन नही किया जा रहा है बल्कि प्रार्थीगण [illegible] कृषि भूमि के मुरब्बा नं–1 पत्थर से–160/348 के किला नं–6 [illegible] गत 20–25 वर्षो से कच्ची आड़ चल रही थी जिससे अप्रार्थीगण सं–1 वा 2 को अपने रकबे के लिए सिंचाई सुविधा प्राप्त होती थी, जिसे [illegible]गण ने जानबुझ कर अप्रार्थीगण सं–1 या 2 को मिल रही सिंचाई सुविधा से वंचित करने के आश्य से वादी ही तोड़ दिया है तथा अब प्रार्थीगण अपने रकबा से कच्ची आड़ नही होने का तथ्य दर्ज कर अपने अधिकारों का हनन होने का कथन कर रहे है जो कतई विधि सम्मत नहीं है। इसलिए उक्त कारण परिस्थितियो प्रार्थीगण को किसी प्रकार नुकसान होने का प्रशन ही पैदा नहीं होता है। अपितु प्रार्थीगण के कृत्य से अप्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति हो रही है। प्रार्थीगण द्वारा कच्ची आड़ तोड़

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:40:05 IST
Reason: SelfAttested

कर अप्रार्थीगण की सिंचाई सुविधा को बाधित किया गया है। सिंचाई सुविधा के अभाव मे अप्रार्थीगण की कृषि भूमि नष्ट हो जावेगी। अप्रार्थीगण द्वारा किसी भी प्रकार से बलपूर्वक या अपराधिक किस्म के व्यक्तियो के साथ मिल कर प्रार्थीगण के कब्जा काश्त मे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं की जा रही है बल्कि प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण की सिंचाई सुविधा जिसे बाधित किया गया है, को सिंचाई विभाग से बहाल करवाने हेतु गुहार कर रहे है तथा पटवारी रिपोर्ट से भी साबित है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को किला नं–6 वा 15 मे जिस आड़ से सिंचाई सुविध मिल रही थी, को तोड़ दिया है तथा सिंचाई सुविधा बाधित की गई है तथा अधिशाषी अभियंता सूरतगढ ब्रांच जल संसाधन खण्ड द्वितीय द्वारा दिनांक 14–5–2025 को सहायक अभियंता को पत्र क्रमांक 505 जारी कर अप्रार्थीगण के रकबा चक–3 एसएडी का मुरब्बा नं–1 पत्थर सं–160/348 को सिंचाई सुविधा हेतु नियमानुसार आड़ निकलवा कर सिंचाई सुविधा बहाल हेतु जारी किया गया तथा जरूरत पड़ने पर पुलिस सहायता भी प्राप्त करने बाबत लिखा गया है। लेकिन प्रार्थीगण माननीय अदालत से मिथ्या, काल्पनिक तथ्यो के आधार पर स्थगन प्राप्त कर सिंचाई सुविधा द्वारा अप्रार्थीगण को सिंचाई सुविधा बहाल की कार्यवाही को स्थगन की आड़ मे रोकने का प्रयास किया जा रहा है। अप्रार्थीगण भी अपने रकबा के खातेदार कृषक है तथा अप्रार्थीगण का भी यह विधिक अधिकार है कि वह अपनी सम्पतिं का उपयोग उपभोग करे तथा अपने अधिकारो की रक्षा करे। लेकिन प्रार्थीगण द्वारा बिना किसी विधिक अधिकारो के अप्रार्थीगण के उपयोग उपभोग, सिंचाई सुविधा में बाधा उत्पन्न की जा रही है। इसलिए प्रार्थीगण माननीय अदालत से अप्रार्थीगण के खिलाफ मिथ्या तथ्यो के आधार पर किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही है। सिंचाई विभाग द्वारा जारी किए गए पत्र क्रमांक 505 दिनांक 15–5–2025 व पटवारी रिपोर्ट के अनुसार प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष मे नही है। वास्तविक्ता यह है कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि के मुरब्बा नं–1 पत्थर सं–160/348 के किला नं–6 वा 15 में पूर्व में मत 20–25 वर्षों से कच्ची आड़ चल रही थी जो कि उक्त मुरब्बा के किला नं–5, 6, 15, 16, 25 में चल रहा था जिससे अप्रार्थीगण सं–1 वा 2 को अपने रकबे के लिए सिंचाई सुविधा प्राप्त होती थी, जिसे प्रार्थीगण ने जानबुझ कर अप्रार्थीगण सं–1 वा 2 को मिल रही सिंचाई सुविधा से वंचित करने के आशय से वादी ने तोड़ दिया है। जिस पर अप्रार्थीगण की सिंचाई सुविधा बाधित होने पर अप्रार्थीगण ने अधिशाषी अभियंता सूरतगढ ब्रांच जल संसाधन खण्ड द्वितीय के समक्ष दिनांक 25–4–2025 को प्रार्थना पत्र पेश किया गया। इसी दौरान प्रार्थीगण ने श्रीमान् न्यायालय में मिथ्या तथ्यो के आधार पर अनवानी स्थगन प्रार्थना पत्र व वाद पत्र पेश कर श्रीमान् न्यायालय से सही वा वास्तविक तथ्यो को छुपा कर स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया। अप्रार्थीगण की सिचांई सुविधा बाधित होने पर सिंचाई विभाग द्वारा सिंचाई नियमो के तहत अप्रार्थीगण को वैकल्पिक सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने बाबत मौका पर अपने अधिनस्थ [illegible] श्रीमान् न्यायालय से प्राप्त स्थगन आदेश का हवाला देते हुऐ सिं[illegible] के कर्मचारीयो वहां से वापिस भेज दिया तया अप्रा[illegible] आज तक बहाल नही हो पाई है। प्रार्थीगण जो [illegible] इसलिए प्रार्थीगण ने जानबुझ कर अपने वाद प[illegible] पक्षकार नही बनाया है। यदि सिंचाई विभाग को पक्षकार बनाया जाता [illegible] श्रीमान् न्यायालय के समक्ष सारी स्थिति स्पष्ट हो सकती थी। प्रार्थना [illegible] खारिज करने हेतु निवेदन किया।

3. बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष अपनी अपनी बहस में प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों की पुनरावृत्ति की। प्रार्थीगण के अधिवक्ता कथन किया कि अप्रार्थीगण जिस खाले/आड़ का कथन कर रहे है वह स्वीकृतशुदा नहीं है। अप्रार्थीगण अपनी सिंचाई सुविधा हेतु सिंचाई विभाग से नई आड़ चालू करवा सकते है, प्रार्थीगण को बाध्य नहीं किया जा सकता

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:40:05 IST
Reason: SelfAttested

है। अधिवक्ता अप्रार्थीगण कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा वास्तविक तथ्यों को छिपाकर अप्रार्थीगण की सिंचाई सुविधा को बाधित करने के उद्देश्य से यह प्रार्थना पत्र पेश कर स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण की भूमि को कि.नं. 6 व 16 में चल रही आड़ से प्राप्त होने वाली सिंचाई सुविधा को बाधित करने के लिए आड़ को तोड़ दिया है। स्थगन आदेश की आड़ में अप्रार्थीगण को सिंचाई सुविधा से वंचित कर दिया है जिससे अप्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति हो रही है। प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

4. बहस वकील उभयपक्ष का कथन किया पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र की मद् सं. 5 में अंकित किया है कि अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण की भूमि मु.नं. 1 कि.नं. 6 व 15 में बिना कोई विधिक हक एवं अधिकार के खाला निर्माण करना चाहा। मद् सं. 6 में अंकित किया है कि कि.नं. 6 व 15 में कभी न तो खाला रहा है तथा ना ही खाला स्वीकृतशुदा है। अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि मु.नं. 1 कि.नं. 6 व 15 में गत 20–25 वर्षों से चल रही कच्ची आड़ जो कि कि.नं. 5,6,15,16 व 25 में चल रही थी जिससे अप्रार्थीगण को अपने रकबे के लिए सिंचाई सुविधा प्राप्त होती थी को बाधित करने के आश्य से आड़ को तोड़ दिया है। स्थगन आदेश प्राप्त कर सिंचाई विभाग के कर्मचारीयों जो वैकल्पिक सिंचाई सुविधा हेतु मौका पर भेजे को प्रार्थीगण ने स्थगन आदेश का हवाला देते हुए वापिस भेज दिया। इस प्रकार प्रकरण में मुख्य वाद कारण कि.नं. 6 व 15 में खाला/कच्ची आड़ को लेकर पक्षकारान में विवाद है। न्यायालय द्वारा दिनांक 07.05.2025 को प्रार्थीगण की प्रार्थना पर एकपक्षीय सुनवाई करते हुए अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण पारित कर चक 3 एसएडी के प.नं. 160/348 मु.नं. 1 कि.नं. 6,13,14,15 में किसी प्रकार से खाला निकालने एवं निर्माण करने से वर्जित रहें बाबत पाबंद किया गया है।

5. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज अधिशाषी अभियंता सूरतगढ़ ब्रांच, जल संसाधन खण्ड द्वितीय श्रीविजयनगर पत्रांक/राजस्व/505 दिनांक 14.05.2025 जो कि सहायक अभियंता, जल संसाधन बाजूवाला उपखण्ड श्रीविजयनगर को संबोधित किया गया है। जिलेदार जल संसाधन सू. ब्रांच को संबोधित पटवारी, जल संसाधन की रिपोर्ट दिनांक 06.05.2025 व नजरिया नक्शा का अवलोकन किया गया। जिसमें पाया कि मु.नं. 160/348 का नक्का कि.नं. 25 में है जो चालू है। कि. नं. 1 ता 5, 7 ता 9, 10/2 की सिंचाई हेतु कि.नं. 5 ता 25 व 5 ता 2 तक चल रही आड को कि.नं. 6, 15 में तोड़ दिया गया है। जिस संबंध में अधिशाषी अभियंता के द्वारा पत्र/राजस्व/505 दिनांक 14.05.2025 के द्वारा सहायक अभियंता को मु.नं. 160/348 के रकबा की सिंचाई सुविधा हेतु विभाग के नियमानुसार आड(फिल्ड चैनल) निकलवाकर सिंचाई सुविधा बहाल करवाने के आदेश दिए गए है।

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

6. उपर्युक्त तथ्यों पर मनन करने के उपरान्त न्यायालय का निष्कर्ष है कि प्रार्थीगण अप्रार्थीगण को अपनी भूमि में दखलंदाजी नहीं करने के आदेश से पाबंद करवाने के अधिकारी है अथवा नहीं का निर्णय मूल वाद में साक्ष्यों के आधार पर गुणावगुण पर होना है। [illegible] घरलू आड़ सिंचाई विभाग के नियमानुसार चल रही थी जि[illegible] अप्रार्थीगण की सिंचाई सुविधा प्रभावित की गयी [illegible] अप्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति हो रही है। [illegible] खातेदार है जिस कारण प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर म[illegible]लत बेजा करने व प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधार उत्पन्न करने व विधि विरूद्ध तरीके से खाला निकालने व बेदखल करने से बाज व ममनू रहे बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण चाही है। प्रार्थीगण भूमि के खातेदार होने के कारण स्वंय की भूमि पर अन्य की दखलंदाजी रोकने हेतु कार्यवाही करने के तब तक

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:40:05 IST
Reason: SelfAttested

अधिकारी है, जब तक कि अन्य खातेदार की खातेदारी हित प्रभावित नहीं होते हों। हस्तगत प्रकरण में न्यायालय के सामने प्रकट हुए तथ्यों के आधार पर प्रथमतः यह प्रमाणित है कि अप्रार्थीगण की सिंचाई सुविधा प्रभावित है, जिसके वे अधिकारी है। ऐसी स्थिति में सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण की अपेक्षा अप्रार्थीगण के पक्ष में है। हालांकि प्रकरण में प्रार्थीगण निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दू प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति समस्त अपने पक्ष में सिद्ध करने में असफल रहे है लेकिन न्यायालय की राय में प्रकरण में अनावश्यक वाद विवाद को रोकने तथा उभयपक्ष के खातेदारी एवं कानूनी हितों के रक्षार्थ उभयपक्ष को एक दूसरे की भूमि में मदाखलत बेजा नहीं करें की निषेधाज्ञा से पाबंध किया जाना न्यायसंगत है।

—: आदेश :—

7. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि प्रकरण में न्यायालय द्वारा पारित अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 07.05.2025 को निरस्त किया जाता है। उभयपक्ष को आदेश दिया जाता है कि दिनांक 07.05.2025 से पूर्व चक 3 एस.ए.डी. तहसील श्री विजयनगर के मुरब्बा नम्बर 01 प०नं0 160/348 में चल रही सिंचाई व्यवस्था को सिंचाई/जल संसाधन विभाग द्वारा जब तक विधिवत आदेश द्वारा परिवर्तित नहीं किया जावे बनाए रखें एवं मूल वाद पत्र के निर्णय तक उभयपक्ष एक दूसरे की खातेदारी भूमि में किसी भी प्रकार से मदाखलत बेजा नहीं करें एवं न ही एक दूसरे की खातेदारी भूमि के उपयोग उपभोग में सिंचाई अथवा अन्य किसी प्रकार से बाधा उत्पन्न करें।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 11.06.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

शकुन्तला
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्री विजयनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:40:05 IST
Reason: SelfAttested